न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 792/2023

अनवान : –

1. पंकज पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 185/3 के प0न0 355/433(64) के किला न0 16, 17, 24, 25 प्रत्येक की 0.2530 हैक्ट तथा प0न0 356/426(15) के किला न0 20/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 20/5 की 0.2230 हैक्ट, 21/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 21/5 की 0.2230 हैक्ट कुल 1.5080 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 184/3 के प0न0 355/433(64) के किला न0 4/1 की 0.1090 हैक्ट, 7 की 0.2530 हैक्ट, 13/1 की 0.2280 हैक्ट, 13/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 14/1 की 0.2400 हैक्ट, 14/2 की 0.0130 हैक्ट गै0मु0 रास्ता तथा प0न0 356/426 (15) के किला न0 16 की 0.2530 हैक्ट, 17/1 की 0.0200 हैक्ट, 24/1 की 0.0200 हैक्ट, 25 की 0.2530 हैक्ट कुल 1.4140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 17 एनटीआर के खाता संख्या 185/3 के प0न0 356/426 (15) के किला न0 20/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 21/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला जमाबंदी में गलत तोर से अंकित हो गया है जबकि उपरोक्त दोनों किलों में कभी भी खाला नही चला था तथा मौके पर खाला चालु है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/3 के प0न0 356/426 (15) के किला न0 16 व 25 में मौके पर खाला चालु है। इसलिए वादी गै0मु0 खाला की भूमि राजस्व रिकार्ड मे मुमकीन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 185/3 के प0न0 356/426(15) के किला न0 20/1 की 0.050 गै0मु0 खाला, 21/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 अपनी कृषि भूमि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/3 के प0न0 356/426(15) के किला न0 16 व 25 में गै0मु0 खाला दर्ज करवा ले तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2073–76 रोही मौजा परलीका बी खाता संख्या 185/3, 184/3 आदि पेश की।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 185/3 के प0न0 356/426(15) के किला न0 20/1 की 0.050 गै0मु0 खाला, 21/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/3 के प0न0 356/426(15) के किला न0 16 व 25 में गै0मु0 खाला दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 185/3 की कुल 1.5080 हैक्ट भूमि वादी के तथा रोही मौजा चक 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/3 की कुल 1.4140 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 185/3 के प0न0 356/426(15) के किला न0 20/1 की 0.050 गै0मु0 खाला, 21/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जावे व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/3 के प0न0 356/426(15) के किला न0 16 व 25 में गै0मु0 खाला दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 185/3 के प0न0 356/426(15) के किला न0 20/1 की 0.0250 गै0मु0 खाला, 21/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 184/3 के प0न0 356/426(15) के किला न0 16 व 25 को गै0मु0 खाला दर्ज किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:49 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 792 / 2023

अनवान : –

1. पंकज पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 792 सन 2023 निर्णय दिनांक —18/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 185 / 3 के प0न0 356 / 426(15) के किला न0 20 / 1 की 0.0250 गै0मु0 खाला, 21 / 1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा 17 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 184 / 3 के प0न0 356 / 426(15) के किला न0 16 व 25 को गै0मु0 खाला दर्ज किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/3/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:37:49 IST
Reason: SelfAttested